न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 136/16 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1.. माया देवी पत्नि महेन्द्र सिंह जाति अहीर निवासी मकान नम्बर 92 क, घडी वजीरपुर तहसील व थाना सोहना जिला गुड़गांवा(हरि0)

:------ अपीलांट

बनाम

1 भगतसिंह पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी ग्राम जालाका तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

2 राज0 सरकार जरिये भूमिधारी लैण्ड होल्डर कोटकासिम (अलवर)

:--- असल रेस्पो0

3 करतारसिंह

4 महेन्द्रसिंह

5 राजाराम

6 शेरसिंह

7 राजेश पुत्रान रघुवीर जाति गूर्जर निवासी कैरवा तहसील व थाना कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

:--- तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, कोटकासिम दिनांक 13.6.2016

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री जनार्दन शर्मा

2. वकील रेस्पो0सं01 :– श्री दिनेश यादव

निर्णय दिनांक 15/07/2019

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, कोटकासिम द्वारा राजस्व वाद पत्र संख्या 167/2015 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.6.2016 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर0 टी0 एक्ट प्रारम्भिक तौर पर डिक्री किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत न्यायालय में वाद पत्र इस प्रकार का प्रस्तुत किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 21 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम कैरवा तहसील कोटकासिम जिला अलवर वादी और प्रतिवादी संख्या 01 की शामलात खाते की भूमि है । वादी ने इस आराजी में से 15 बिस्वा भूमि जसवन्त वगैरा से जरिये बयनामा खरीद की है । इस बयनामा के आधार पर वादी के नाम का अमल हो गया । परन्तु प्रतिवादीगण आये दिन वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत करते हैं और निर्माण कार्य करने की फिराक में है । अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा उक्त वाद पत्र प्राथमिक तौर पर डिक्री किया है, जिसकी यह अपील है ।

3 विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर तर्क दिये कि वाद पत्र में दिनापंक 2.6.2016 नियत थी, परन्तु उस दिन पत्रावली न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुई थी । दिनांक 2.6.16 से पूर्व ही बिना सूचना के दिनांक 4.5.16 नियत कर दी गई । दिनांक 4.5.16 से पूर्व ही बिना सूचना के दिनांक 13.6.16 नियत कर कैम्प कोर्ट में पत्रावली बिना प्रतिवादी अपीलांट को सुने निर्णय पारित कर दिया गया । इसलिये अपीलाधीन निर्णय की समय पर जानकारी नहीं हो सकी । अतः जानकारी के अभाव में हुई देरी को कंडोन किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे । इसके पश्चात उन्होंने आगे तर्क दिये कि अपीलाधीन निर्णय हमको बिना सुने इकतरफा में पारित किया गया है । ऐसा निर्णय इललिगल होता है । अतः निवेदन है कि हमारी सुनवाई हेतु प्रकरण रिमांड किया जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 01 का कथन है कि देरी का संतोषजनक कारण नहीं बताया गया है । अतः अपील मियाद बिन्दू पर ही खारिज की जावे । उन्होंने आगे तर्क दिया कि इनको अपील प्रस्तुत करने का कोई राईट नहीं है । ये अपनी आपत्ति तहत न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं । इनको सुनवाई का अवसर भी दिया गया है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को मियाद बिन्दू पर लिबरल व्यू अपनाना चाहिये और प्रकरण का निस्तारण मेरिटस पर किया जाना चाहिये । अतः माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में लिबरल व्यू अपनाया जाकर देरी को कंडोन किया जाता है और अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है ।

6 इसके पश्चात तहत न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.6.2016 का अवलोकन किया । जिसमें अंकित किया गया है कि वकील वादी को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया, वादी का वाद प्रारम्भिक डिक्री किया जाता है । इस आदेशिका से सिद्ध है कि केवल वादी वकील को सुना गया है । प्रतिवादी अपीलांट को सुना ही नहीं दिया गया है । जब कि यह एक सुस्थापित कानून है कि प्रतिवादी को भी सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये । इतना ही नहीं, प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर दिया गया था । ऐसी स्थिति में तनकियात कायम की जानी चाहिये और प्रत्येक तनकी पर उभयपक्ष की सुनवाई एवं साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिये, जैसा कि आदेश 14 नियम 01 और आदेश 20 नियम 05 में अभिनिर्धारित किया गया है । मात्र इतना सा लिख देना कि वकील वादी को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया, वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाता है, स्पीकिंग ऑर्डर की श्रेणी में नहीं आता है । उपरोक्त सभी तथ्यों के विवेचन की रोशनी में प्रकरण रिमांड किये जाने योग्य है ।

7 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.6.16 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि वो उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान कर तनकीवार निर्णय पारित करें । उभयपक्ष वास्ते सुनवाई तहत न्यायालय में दिनांक -------- को उपस्थित हों ।

8 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/8/19

(संजू शर्मा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner